

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 051/2023

1. रिपुदमन पुत्र गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम


-- वादी

1. सुखपाल कौर पत्नी गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. सुखपिन्द्र पुत्री गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा



निर्णय

दिनांक :- 28.3.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.3.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित गुरदास सिंह के नाम से चक नम्बर 13 एन.जी.सी. जमांबदी

सम्बन्धित 2075, ता 78 खाता संख्या 16/16 में दर्ज 0.253 हैक्टर आराजी का वादी को अधिकारी के द्वारा काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 13 एन.जी.सी. के खाता संख्या

16/16 में से गुरदास सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी

अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वातिगुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेयक सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---